

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002492016

दांडिक प्रकरण क्र.-561/16

संस्थापित दिनांक-29.12.16

| | |
|--|----------------------------------|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन | |
| विरुद्ध | |
| 01-हरिशंकर सेन पुत्र गनेश जू सेन उम्र 40 साल निवासी जुगियाना मोहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगर।आरोपी | |
| राज्य द्वारा | :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। |
| आरोपी द्वारा | :- श्री पठान अधिवक्ता। |

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337, 338 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 279 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अम्पू ने दिनांक 30.11.16 को आरक्षी केन्द्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह और मुकेश चंदेरी से ग्राम गोधन जा रहे थे। मुकेश की मोटरसाईकिल हीरो डीलक्स को मुकेश चला रहा था तथा वह पीछे बैठा था। जैसे ही उनकी मोटरसाईकिल चंदेरी पिछोर रोड पर सिंहपुर ताल के पास पहुंची तो सामने से टैक्सी का चालक हरिशंकर सेन टैक्सी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उन्हें चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 561/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 338, 337 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 30.11.16 को समय 19.00 बजे चंदेरी पिछोर रोड सिंहपुर ताल के पास चंदेरी पर वाहन टैक्सी क्रमांक एमपी 67 आर 0184 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अम्पू अ.सा. 02 मुकेश की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 अम्पू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपने गांव गोधन जा रहा था तब रास्ते में एक अज्ञात टैक्सी चालक ने सामने से टक्कर मार दी थी जिससे उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस को उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अपनी टैक्सी तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 02 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अ. सा. 02 मुकेश ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को किसी अज्ञात टैक्सी चालक ने सामने से टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक को तेजी व लापरवाहीपूर्वक टैक्सी से उन्हें टक्कर मारी गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 पुलिस को देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चालित करना प्रमाणित नहीं हो रहा।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा ऑटो क्रमांक एमपी 67 आर 0184 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)